

## अपकृत्य (Tort) और अपराध (Crime)

अपकृत्य (Tort) और अपराध (Crime) दोनों ही कानून के उल्लंघन के प्रकार हैं, लेकिन उनके बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं। ये अंतर उनकी प्रकृति, उद्देश्य, पक्षकार, दंड, और कानूनी प्रक्रिया में स्पष्ट होते हैं।

### अपकृत्य और अपराध के बीच अंतर:

पहलू	अपकृत्य (Tort)	अपराध (Crime)
परिभाषा	अपकृत्य एक नागरिक गलत है, जिसमें किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है और जिससे उसे व्यक्तिगत नुकसान या क्षति होती है।	अपराध राज्य द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन है, जो समाज के प्रति गंभीर खतरा या अन्याय उत्पन्न करता है।
उद्देश्य	पीड़ित को मुआवजा प्रदान करना।	समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना और अपराधी को दंडित करना।
पक्षकार (Parties)	पीड़ित (व्यक्ति) और उत्तरदाता (दूसरा व्यक्ति) के बीच विवाद।	राज्य (सरकार) बनाम आरोपी।
प्रकृति	यह व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है।	यह समाज के विरुद्ध किया गया कार्य है।
दंड	आम तौर पर मुआवजा (Compensation) के रूप में।	दंडात्मक सजा, जैसे जेल, जुर्माना, या मृत्यु दंड।
कानूनी प्रक्रिया	दीवानी प्रक्रिया (Civil Procedure) के तहत कार्यवाही की जाती है।	फौजदारी प्रक्रिया (Criminal Procedure) के तहत कार्यवाही होती है।
प्रमाण का स्तर	संतुलन की प्रबलता (Preponderance of Evidence) का सिद्धांत लागू होता है।	संदेह से परे (Beyond a Reasonable Doubt) का सिद्धांत लागू होता है।
उदाहरण	मानहानि, लापरवाही, अतिक्रमण।	हत्या, डकैती, बलात्कार, चोरी।
नुकसान का प्रकार	व्यक्तिगत, आर्थिक, मानसिक या प्रतिष्ठा की हानि।	समाज, सार्वजनिक शांति, और कानून का उल्लंघन।
उद्देश्य का फोकस	व्यक्तिगत अधिकार और कर्तव्यों का संरक्षण।	सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा का संरक्षण।

## व्याख्या:

### 1. अपकृत्य:

- इसमें मुख्य रूप से पीड़ित को मुआवजा प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान होता है या उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाती है, तो वह मुआवजे के लिए वाद दायर कर सकता है।
- यह नागरिक विधि का हिस्सा है और इसके तहत दीवानी अदालतों में मामला दायर किया जाता है।

### 2. अपराध:

- यह राज्य द्वारा स्थापित कानूनों का उल्लंघन है, जिसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। उदाहरण के लिए, चोरी या हत्या के मामलों में राज्य अपराधी को दंडित करता है।
- यह आपराधिक विधि का हिस्सा है और इसके तहत फौजदारी अदालतों में कार्यवाही होती है।

## उदाहरण से स्पष्टता:

- **अपकृत्य:** यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की बाड़ को तोड़ता है, तो यह **अतिक्रमण (Trespass)** है और यह अपकृत्य के अंतर्गत आएगा। यहाँ पीड़ित मुआवजे का दावा कर सकता है।
- **अपराध:** यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है, तो यह **अपराध** है और राज्य अभियोजन पक्ष के माध्यम से अपराधी को सजा दिलाएगा।

## निष्कर्ष:

अपकृत्य और अपराध में मुख्य अंतर यह है कि अपकृत्य व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित होता है और इसका उद्देश्य मुआवजा प्रदान करना है, जबकि अपराध सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित होता है और इसका उद्देश्य समाज की सुरक्षा और कानून का पालन सुनिश्चित करना है।